

कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, शामली

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन जनपद न्यायालय शामली स्थित कैराना परिसर में स्थित जलपान गृह (चाय की कैन्टीन एवं खानपान की दुकान) की नीलामी दिनांक 13.03.2022 को अपरान्ह 4:30 बजे सभागार कक्ष न्यायालय परिसर शामली स्थित कैराना में किराये पर नीलामी होने वाली जलपान गृह की न्यूनतम बोली एवं धरोहर बोली की सूची निम्न प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में नीलामी होने वाली प्रस्तावित दुकानों एक वर्ष के लिए धरोहर राशि एवं

न्यूनतम बोली राशि का विवरण

क्र.सं.	स्थल का नाम	प्रयोजन	धरोहर राशि	प्रस्तावित न्यूनतम बोली
1	जनपद न्यायालय शामली स्थित कैराना	जलपान गृह (कैन्टीन एवं खानपान की दुकान)	17105/-	171050/-

उपरोक्त में अंकित धरोहर नगद धनराशि इस जनपद न्यायालय के केन्द्रीय नजारत में नीलामी की नियत तिथि दिनांक 13.03.2022 से पूर्व दिनांक 12.03.2022 तक अपरान्ह 02 से 04 बजे तक जमा कर उससे सम्बन्धित प्राप्त रसीद प्राप्त की जा सकेगी। प्रतिभूति की धनराशि जमा न करने की स्थिति में तात्कालिक नीलामी की बोली लगाने हेतु अहर्ष नहीं होगा।

उपरोक्त जलपान गृह की नीलामी से सम्बन्धित अन्तिम बोली जिस प्रतिभागी के पक्ष में छूटेगी उस पर नियमानुसार कर की धनराशि अलग से जमा करना अनिवार्य होगा तथा अन्तिम बोली की धनराशि का 50 प्रतिशत तुरन्त नीलामी स्थल पर जमा करना होगा तथा अन्तिम बोली का अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि दिनांक 31.12.2022 तक जमा करना होगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली धनराशि नगद जमा की जायेगी, उससे सम्बन्धित किसी प्रकार की चेक/ड्राफ्ट एवं बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त नीलामी की तिथि से किसी प्रकार का परिवर्तन/वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार तथा किसी प्रकार के विवाद के लिए अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जनपद न्यायालयधीश, शामली के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।

(सुरेन्द्र कुमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना/
अध्यक्ष नीलामी समिति
जनपद न्यायालय शामली।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को उनके कार्यालय स्थित सूचना को दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचनार्थ चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित:-

1. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग-ई-कोर्ट शामली एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिकारिक वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी, शामली को प्रकाशन हेतु।
3. अधीक्षक, चिकित्सालय कैराना, शामली।
4. कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।
5. तहसीलदार, कैराना।
6. तहसीलदार, शामली।
7. केन्द्रीय नाजिर को नोटिस बोर्ड जनपद न्यायालय, शामली पर चस्पा करने हेतु।

(सुरेन्द्र कुमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना/
अध्यक्ष नीलामी समिति
जनपद न्यायालय शामली।


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शामली। जलपान गृह (कैन्टीन एवं खानपान की दुकान)

हेतु ठेके की शर्तें

1. जलपान गृह जहाँ हैं, की स्थिति में संचालन के लिये अनुज्ञप्ति पर दिये जाने हेतु नीलामी वितीय वर्ष 2022-23 तक के लिये होगी। दुकानों की नीलामी प्रक्रिया बोली के माध्यम से दिनांक 13.03.2022 को अपरान्ह 4:30 बजे सभागार न्यायालय परिसर शामली स्थित कैराना में प्रारम्भ की जायेगी।
2. जलपान गृह की नीलामी के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत राशि अखबार में दी गयी सूचना के आधार पर जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नीलामी समिति के आदेश से नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी।
3. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को विहित प्रारूप पर आवेदन पत्र व निर्धारित धरोहर धनराशि के साथ जनपद न्यायालय शामली के नजारत अनुभाग में उपस्थित होकर दिनांक 12.03.2022 तक अपरान्ह 2:00 बजे तक जनपद न्यायालय शामली के नजारत अनुभाग में जमा किया जा सकता है।
4. जलपान गृह को जिस प्रयोजन हेतु आवंटित किया जायेगा। उनका प्रयोग उसी कार्य के लिये किया जायेगा।
5. बोली में सफल व्यक्ति, जलपान गृह की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का स्थायी व अस्थायी परिवर्तन नहीं करेगा और न ही जलपान गृह की भौतिक स्थिति को नुकसान पहुंचायेगा।
6. नीलामी उपरोक्त स्वीकृत होने के तुरन्त बाद नीलामी स्थल पर नीलामी राशि का 50 प्रतिशत की धनराशि तत्काल जमा करना होगा, जिसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा यदि उक्त 50 प्रतिशत की धनराशि नीलामी स्थल पर जमा नहीं किया जाता है, तो जमानत के रूप में जमा धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा एवं सम्बन्धित नीलामी निरस्त करके नीलामी के आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
7. नीलामी उपरोक्त की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि दिनांक 31.12.2022 तक दो बराबर त्रैमासिक किस्तों में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि नियत अवधि में बकाया धनराशि जमा नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में जमा की गयी धनराशि को किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित की नीलामी निरस्त समझा जायेगा एवं नीलामी आवंटन की कार्यवाही पुनः नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी।
8. माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली को नीलामी स्वीकार करने व निरस्त करने एवं नीलामी की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा।
9. जलपान गृह में विद्युत उपभोग किये जाने के लिए विद्युत विभाग से स्वयं की विद्युत संयोजन लेकर विद्युत का उपभोग किया जायेगा व उससे सम्बन्धित मासिक किराया प्रत्येक माह में जमा करते हुए रसीद की छायाप्रति न्यायालय अर्थात केन्द्रीय नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. किसी भी स्थिति में जलपान गृह को खाली करते समय जलपान गृह संचालक द्वारा लागये गये बिजली मीटर को नियमानुसार लेसा को समर्पित करते हुये आदेयता प्रमाण पत्र लेते हुये उसकी प्रति जनपद न्यायालय शामली के नजारत अनुभाग में प्रस्तुत करेगा।
11. अच्छी गुणवत्ता वाले फर्नीचर जैसे टेबल और कुर्सी सेवा प्रदाता द्वारा प्रबन्ध किया जायेगा। उक्त जलपान गृह के रख-रखाव का कार्य सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं किया जायेगा।
12. सेवा प्रदाता द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मात्रा और कीमत तथा खान-पान सुविधाओं रख-रखाव और सेवा स्तरों का निरीक्षण करने का अधिकार न्यायालय प्रशासन के पास होगा।
13. सेवा प्रदाता उक्त जलपान गृह में कोई अवैध अनैतिक या विधि विरुद्ध कार्य नहीं करेगा अन्यथा अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

- करने की स्वयं व्यवस्था की जायेगी। ठेकेदार को रू. 2000/- प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में इस आशय के साथ जमा करना होगा, यदि ठेकेदार सफाई कराने में असमर्थ पाया जाता है तो न्यायालय द्वारा सफाई का कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा जमा प्रतिभूति की धनराशि में रू0 50/- प्रतिदिन की दर से सफाई कर्मचारी को पारिश्रमिक का भुगतान न्यायालय द्वारा कर दिया जायेगा, यदि नीलामी की अवधि में न्यायालय को सफाई कराने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है तो सिक्योरिटी की जमा धनराशि नीलामी समाप्त होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी।
15. जलपान गृह में बिक्री की जाने वाली प्रत्येक खाद्य एवं पेय सामग्री गुणवत्ता के साथ निर्मित कर बिक्री की जायेगी तथा उनकी बिक्री दर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से स्वीकृत कराने के पश्चात् मूल्य सूची का लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त जलपान गृह प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः से खुलकर सांय 5:00 बजे बन्द होगी।
 16. जलपान गृह में रखे जाने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं जलपान गृह संचालक की होगी तथा जनपद न्यायालय शामली किसी भी दशा में चोरी, सेन्ध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई भी होती है तो उसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
 17. जिस व्यक्ति द्वारा नीलामी उपरोक्त लिया जायेगा उसे अपने व्यय पर निर्धारित मूल्य के जनरल स्टैम्प पर ठेके की सभी शर्तों का एक अनुबन्ध पत्र कब्जा प्राप्त करने की तिथि को निष्पादित करना होगा कि यदि वह दी गयी सभी शर्तों के अन्तर्गत नीलामी चलाने में असमर्थ पाया जाता है तो उसकी नीलामी निरस्त करते हुए कब्जा वापस ले लिया जाये तथा उन परिस्थितियों में उसके द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि भी जब्त किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगा।
 18. नीलामी दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 के लिये वैध होगा। ठेकेदार अपना नाम, फोटो स्थायी व पत्र व्यवहार का पता एवं कार्यरत् कर्मचारियों के नाम पता मय फोटो कब्जा लेने की तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा सम्बन्धित जलपान गृह में किसी प्रकार का कोई फर्नीचर आदि न्यायालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। उसकी व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं की जायेगी।
 19. ठेकेदार व कार्यरत् कर्मचारियों को सभी के साथ अपना व्यवहार विनम्र रखना होगा। यदि उसके व्यवहार में कोई शिकायत माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली एवं प्रभारी अधिकारी नजारत को की जाती है तो माननीय जिला जज, शामली महोदय का निर्णय सम्बन्धित ठेकेदार को मान्य होगा जो कि नीलामी निरस्त की सीमा तक हो सकता है एवं उक्त स्थिति में उसके द्वारा जमा धनराशि को जब्त भी किया जा सकता है।
 20. ठेकेदार द्वारा उक्त जलपान गृह के ठेके को शिकमी किरायेदारी पर देने का अधिकार नहीं होगा, यदि ठेकेदार उक्त नीलामी किसी अन्य व्यक्ति को शिकमी किरायेदारी पर देता है तो उसका नीलामी निरस्त करते हुए उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी एवं जलपान गृह का कब्जा वापस ले लिया जायेगा।
 21. ठेकेदार नीलामी चलाने के लिये किसी अवांछनीय अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को नहीं रखेगा। यदि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त से सम्बन्धित नियुक्त कोई व्यक्ति को इस न्यायालय के अधिकारियों द्वारा अपने व्यवहार या अन्य किसी कारण से अवांछनीय पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को तात्कालिक प्रभाव से सम्बन्धित ठेकेदार को हटाना होगा।
 22. सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उक्त जलपान गृह में भविष्य में अग्निकाण्ड जैसी होने वाली अप्रत्याशित घटना की दृष्टि से उसमें सुरक्षा हेतु अग्निशमन यन्त्रों को अपने व्यय पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।
 23. यदि ठेकेदार द्वारा दी गयी शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो ठेकेदार का नीलामी निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकती है एवं ठेके का कब्जा वापस लिया जा सकता है।
 24. वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव व प्रसार को देखते हुए सामाजिक/शारीरिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। सभी सम्मिलित व्यक्तियों को मास्क का प्रयोग करना आवश्यक होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी। किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को कदापि भी नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इस सम्बन्ध में

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।



(विजय कुमार वर्मा)
सिविल जज (सी.डि.)
कैराना
सदस्य



(रेशमा चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रेप एवं पॉक्सो
सदस्य



(सुरेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कैराना
अध्यक्ष

नीलामी समिति जजशिप शामिली।